



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-19062026-273641
CG-UP-E-19062026-273641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3108]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3108]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 18 जून, 2026

का.आ. 3231(अ).— केन्द्रीय सरकार रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य एवं स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिले में लखनऊ मण्डल के गोंडा-बहराइच सेक्शन में रिसिया-मटेरा स्टेशनों के मध्य कि.मी. 74/0-1 पर समपार संख्या 51 एवं सरजू-जरवल स्टेशनों के मध्य कि.मी. 702/9-10 पर समपार संख्या 295 के बदले उपरिगामी सेतु के निर्माण (विशेष रेल परियोजना) के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निस्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क.सं.	सक्षम अधिकारी	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बहराइच	बहराइच	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W/RSP-LJN/ROB/LA/BRK]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 18th June, 2026

S.O. 3231(E).— In exercise of the powers conferred by Clause 7A of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as **“Competent Authority for Land Acquisition (CALA)”** to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of Special Railway Project of “Construction of ROB in lieu of (i) L.C. No. 51 at Km 74/0-1 between Risia-Matera Stations and (ii) L.C. No. 295 at Km 702/9-10 between Sarju-Jarwal Stations of the Lucknow Division of N.E. Railway” in the states mentioned in column (4) and districts mentioned in column (3) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

SCHEDULE

S. No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Special Land Acquisition Officer, Bahraich	Bahraich	Uttar Pradesh

[F. No. W/RSP-LJN/ROB/LA/BRK]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Construction